न्यायालय उप जिला कलेक्टर बौंली जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी :– रामसिंह राजावत आर.ए.एस

वाद पत्र संख्या – 111/2022

गुलाव कंवर उर्फ मुन्नी पुत्री नारायाण सिंह पत्नि शम्भूसिंह जाति राजपूत उम्र 51 वर्ष निवारी वोरखेडा तहसील मित्रपुरा जिला स0मा0 हाल निवासी शहपुरा जिला भिजवाडा

............वादीया

वनाम

1. लैण्ड होल्डर (तहसीलदार) तहसील बौंली स0मा0।
2. गुन्नी पुत्री नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी वोरखेडा।

...........प्रतिवादीगण

उपस्थित :–श्री वी0पी0 सिंह राजावत वादी की ओर से

वाद पत्र उदघोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट.

दिनांक 03.06.2026

आदेश

वादीया की और से यह वाद पत्र इस आशय का पेश किया कि वादीया ग्राम वोरखेडा की पुत्री है । वादीया का ससूराल शाहपुरा भिलवाडा में है वादीया का नाम गुलाव कंवर हैं तथा वादीया को मन्नी के नाम से भी जाना जाता है। गुलाव कंवर उर्फ मन्नी है। वादीया की खातेदारी भूमि वाके ग्राम वोरखेडा पटवार हल्का मोरन के खाता संख्या 149 में अंकित कुल किता 6 कुल रकवा 2.7900 है. भूमि मे वादीया का हिस्सा 1/20 तथा खाता संख्या 150 मे अंकित कुल किता 69 कुल रकवा 62.4400 है0 भूमि मे वादीया का हिस्सा 1/20 तथा खाता संख्या 151 मे अंकित कुल किता 5 कुल रकवा 2.9700 है. भूमि वादीया का हिस्सा 1/20 तथा खाता संख्या 152 मे अंकित कुल किता 5 कुल रकवा 11.9500 है. भूमि मे वादीया का हिस्सा 1/20 तथा खाता संख्या 153 मे अंकित कुल किता 14 कुल रकवा 5.7400 है. भूमि मे वादीया का हिस्सा 1/20 तथा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है । जिस पर वादीया का कब्जा काश्त चला आ रहा है । उक्त खातेदारी भूमि मे वादीया का नाम मन्नी पुत्री नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी वोरखेडा दर्ज हो गया है जवकि वादीया का नाम गुलाव कंवर है। इस कारण वादी का नाम दुरूस्त किये जाने योग्य है । वादीया का वोलता नाम मन्नी कंवर है तथा सम्पूर्ण दस्तावेज जिनमे राशनकार्ड , आधार कार्ड , परिचय पत्र आदि सम्पूर्ण दस्तावेजो में गुलाव कंवर नाम दर्ज है उपरोक्त भूमि का नामान्तकरण खोलते समय वादीया का वोलता नाम मन्नी कंवर दर्ज कर दिया गया जवकि वादीया के सम्पूर्ण दस्तावेजो मे गुलाव कंवर नाम दर्ज है। इस कारण वादीया किसी भी योजना का लाभ प्राप्त नही कर पा रही है। इस कारण उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त कर वादीया का नाम मन्नी के स्थान पर

गुलाव कंवर दर्ज किया जाना आवश्यक है। वादीया को उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी प्रथम बार जब हुई जब वादीया केसीसी बनवाने हेतु पटवारी हल्का के पास गई ।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को तलब किया गया । वाद तामिल उपस्थित नहीं होने पर एकतरफा कार्यवाही की गई । साक्षी वादी ग्रहण की गई। गुलाव कंवर पी. डब्ल्यू–1 ने अपने बयान में प्रदर्श–1 जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 खाता संख्या 149 प्रदर्श–2 जमाबन्दी खाता संख्या 150 प्रदर्श–3 जमाबन्दी खाता संख्या 151 प्रदर्श 4 जमाबन्दी खाता संख्या 152 प्रदर्श 5 जमाबन्दी खाता संख्या 153 प्रदर्श 6 ग्राम पंचायत मोरन का प्रमाण पत्र दिनांक 5.5.2022 पेश किये है। साथ में आधार कार्ड , भामाशाह कार्ड भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र पेश किये है व पी.डब्ल्यू.डी.2 हजारी खॉ व पी.डब्ल्यू. 3 गोपाल योगी के बयान लेखबद्ध किये गये । तहसीलदार मित्रपुरा से रिपोर्ट ली गई । तहसीलदार मित्रपुरा द्वारा पत्रांक /भू.अ./26/256 दिनांक 01.04. 2026 से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई । मुताबिक मौका रिपोर्ट जमाबन्दी ग्राम बोरखेडा के हाल खाता संख्या 152 किता 5 रकबा 11.95 है. खाता संख्या 151 किता 5 रकबा 2.97 है. खाता संख्या 150 किता 69 रकबा 62.44 है. खाता 149 किता 6 रकबा 2.79 है. खाता संख्या 153 किता 14 रकबा 5.74 में प्रार्थीया का नाम मुन्निसिंह पुत्री नारायण सिंह जाति राजपूत वगै. सहखातेदार दर्ज रिकोर्ड है तथा खाता संख्या 152 , 153, 150, 151, 149, पर किसी भी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं है। मुताबिक मौका पर्चा के ग्राम वासियो द्वारा बताया गया कि प्रार्थीया को मुन्निबाई के नाम से बोला जाता है जबकि प्रार्थीया के दस्तावेजो में गुलावकंवर दर्ज है तथा मुन्निबाई व गुलावकंवर दोनो एक ही महिला होना बताया गया जिसे दोनो नामो से पुकारा जाता है ।

बहस वादीया सुनी गयी । पत्रावली का अवलोकन किया गया वाके ग्राम बोरखेडा पटवार हल्का मोरन के खाता संख्या 149 में अंकित कुल किता 6 कुल रकबा 2.7900 है. भूमि तथा खाता संख्या 150 मे अंकित कुल किता 69 कुल रकबा 62.4400 है0 भूमि तथा खाता संख्या 151 में अंकित कुल किता 5 कुल रकबा 2.9700 है0 भूमि मे वादीया का नाम गुलाव कंवर पुत्री नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी बोरखेडा के स्थान पर सहवन से वादीया का बोलता नाम मन्नी पुत्री नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी बोरखेडा दर्ज कर दिया गया है जिसे वादीया मन्नी पुत्री नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी बोरखेडा के स्थान पर गुलाव कंवर पुत्री नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी बोरखेडा दुरूस्त करवाने की अधिकारी है तथा इसी अनुसार सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। अतः हमारे विनम्र अभिमत में दुरूस्त किया जाना विधिसंगत हैं ।

आदेश

उक्त विवेचना के परिपेक्ष्य में वाद पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार मित्रपुरा को निर्देश दिये जाते है कि वाके ग्राम बोरखेडा पटवार हल्का गोरन के खाता संख्या 149 में अंकित कुल किता 6 कुल रकबा 2.7900 है. भूमि तथा खाता संख्या 150 मे अंकित कुल किता 69 कुल रकबा 62.4400 है0 भूमि तथा खाता संख्या 151 में अंकित कुल किता 5 कुल रकबा 2.9700 है0 भूमि मे वादीया का नाम **गन्नी पुत्री नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी बोरखेडा** के स्थान पर **गुलाब कंवर पुत्री नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी बोरखेडा** राजस्व रिकार्ड में शुद्ध किया जावे। शेष इन्द्राजात पूर्वतः यथावत रहेंगे।

03/6/26

(राजसिंह राजावत)
उप जिला कलेक्टर
बौली जिला स.मा.

आदेश आज दिनांक 03.06.26 को निवृत न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित एवं उच्चारित किया गया ।

03/6/26

उप जिला कलेक्टर
बौली जिला स.मा.

डिक्री

आदेश 20 के नियम 7 व 9

न्यायालय उप जिला कलेक्टर बौंली जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी – रामसिंह राजावत आर ए एस

गुलाब कंवर उर्फ मुन्नी पुत्री नारायाण सिंह पत्नि शम्भूसिंह जाति राजपूत उम्र 51 वर्ष निवासी बोरखेडा तहसील मित्रपुरा जिला स0मा0 हाल निवासी शहपुरा जिला भिजवाडा

............वादीया

बनाम

1. लैण्ड होल्डर (तहसीलदार) तहसील बौंली स0मा0।
2. मुन्नी पुत्री नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी बोरखेडा।

............प्रतिवादीगण

वाद पत्र उदघोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट.

वाद पत्र संख्या – 111/2022

वादीया की और से श्री वी0पी0 सिंह राजावत एडवोकेट प्रतिवादीगण की और से नील उपस्थित में इस वाद में आज मुझ पीठासीन अधिकारी के समक्ष निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

उक्त विवेचना के परिपेक्ष्य में वाद पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार मित्रपुरा को निर्देश दिये जाते है कि वाके ग्राम बोरखेडा पटवार हल्का मोरन के खाता संख्या 149 में अंकित कुल किता 6 कुल रकबा 2.7900 है. भूमि तथा खाता संख्या 150 मे अंकित कुल किता 69 कुल रकबा 62.4400 है0 भूमि तथा खाता संख्या 151 में अंकित कुल किता 5 कुल रकबा 2.9700 है0 भूमि मे वादीया का नाम **मन्नी पुत्री नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी बोरखेडा** के स्थान पर **गुलाब कंवर पुत्री नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी बोरखेडा** राजस्व रिकार्ड में शुद्ध किया जावे। शेष इन्द्राजात पूर्वतः यथावत रहेंगे।

और इस वाद के खर्चे लेख ....नील............ की राशि आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर ....नील ....प्रतिशत की दर से ब्याज सहित ... .नील........को दी जावे।

यह आज दिनांक 03.06.26 को मेरे हस्ताक्षरित से और न्यायालय की मुद्रा द्वारा दी गई ।

03/6/26

उप जिला कलेक्टर

बौंली जिला स0मा0